न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर

अपील जी.सी.एम.नम्बर 2024/154

1. रामनारायण पुत्र रूपा, जाति हरियाणा ब्राहम्ण, निवासी–ग्राम मानपुर देवरी उर्फ गोल्यावास, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर, राजस्थान ।

–अपीलार्थी

बनाम

1. नानगराम पुत्र रूपनारायण, जाति हरियाणा ब्राहम्ण, निवासी–ग्राम मानपुर देवरी उर्फ गोल्यावास, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर,
2. हनुमान शर्मा पुत्र रामनारायण, जाति हरियाणा ब्राहम्ण, निवासी–ग्राम मानपुर देवरी उर्फ गोल्यावास, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर, राजस्थान ।
3. शुभम शर्मा पुत्र भगवान सहाय शर्मा नाबालिक जरिये संरक्षक सरपरस्त माता हंसा देवी पत्नि स्व. भगवान सहाय शर्मा, जाति हरियाणा ब्राहम्ण, निवासी–ग्राम मानपुर देवरी उर्फ गोल्यावास, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर, राजस्थान ।
4. काना शर्मा पुत्र भगवान सहाय शर्मा नाबालिक जरिये संरक्षक सरपरस्त माता हंसा देवी पत्नि स्व. भगवान सहाय शर्मा, जाति हरियाणा ब्राहम्ण, निवासी–ग्राम मानपुर देवरी उर्फ गोल्यावास, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर, राजस्थान ।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर (राज.) ।

–प्रत्यर्थीगण

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 12.02.2024, न्यायालय जिला उपखण्ड अधिकारी, जयपुर द्वितीय (सांगानेर), अपील संख्या–09/2023, उनवानी नानगराम बनाम रामनारायण व अन्य।

उपस्थित–
1. श्री मुकेश शर्मा वकील अपीलान्ट
2. श्री रामजीलाल चौधरी वकील रेस्पो0 1 की ओर से।

अपील जी.सी.एम.नम्बर 2024/175

1. हनुमान शर्मा पुत्र रामनारायण, जाति हरियाणा ब्राहम्ण, निवासी–ग्राम मानपुर देवरी उर्फ गोल्यावास, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर, राजस्थान ।
2. शुभम शर्मा पुत्र भगवान सहाय शर्मा नाबालिक जरिये संरक्षक सरपरस्त माता हंसा देवी पत्नि स्व. भगवान सहाय शर्मा, जाति हरियाणा ब्राहम्ण, निवासी ग्राम मानपुर देवरी उर्फ गोल्यावांस, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर, राजस्थान ।
3. काना शर्मा पुत्र भगवान सहाय शर्मा नाबालिक जरिये संरक्षक सरपरस्त माता हंसा देवी पत्नि स्व. भगवान सहाय शर्मा, जाति हरियाणा ब्राहम्ण, निवासी–ग्राम मानपुर देवरी उर्फ गोल्यावास, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर, राजस्थान ।

–अपीलार्थीगण

संभागीय आयुक्त
जयपुर

बनाम

1. नानगराम पुत्र रूपनारायण, जाति हरियाणा ब्राहम्ण, निवासी–ग्राम मानपुर देवरी उर्फ गोल्यावास, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर, राजस्थान ।
2. रामनारायण पुत्र रूपा, जाति हरियाणा ब्राहम्ण, निवासी–ग्राम मानपुर देवरी उर्फ गोल्यावास, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर, राजस्थान । राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर (राज.) ।

–प्रत्यर्थीगण

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 12.02.2024, न्यायालय जिला उपखण्ड अधिकारी, जयपुर द्वितीय (सांगानेर), अपील संख्या–09/2023, उनवानी नानगराम बनाम रामनारायण व अन्य।

उपस्थित–

1. श्री मुकेश महर्षि वकील अपीलान्ट।
2. श्री रामजीलाल चौधरी वकील रेस्पो0 1 की ओर से।
3. श्री मुकेश शर्मा वकील रेस्पो0 2 की ओर से।

अपील जी.सी.एम.नम्बर 2024/176

1. हनुमान शर्मा पुत्र रामनारायण, जाति हरियाणा ब्राहम्ण, निवासी–ग्राम मानपुर देवरी उर्फ गोल्यावास, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर, राजस्थान ।
2. शुभम शर्मा पुत्र भगवान सहाय शर्मा नाबालिक जरिये संरक्षक सरपरस्त माता हंसा देवी पत्नि स्व. भगवान सहाय शर्मा, जाति हरियाणा ब्राहम्ण, निवासी ग्राम मानपुर देवरी उर्फ गोल्यावांस, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर, राजस्थान ।
3. काना शर्मा पुत्र भगवान सहाय शर्मा नाबालिक जरिये संरक्षक सरपरस्त माता हंसा देवी पत्नि स्व. भगवान सहाय शर्मा, जाति हरियाणा ब्राहम्ण, निवासी–ग्राम मानपुर देवरी उर्फ गोल्यावास, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर, राजस्थान ।

–अपीलार्थीगण

बनाम

1. नानगराम पुत्र रूपनारायण, जाति हरियाणा ब्राहम्ण, निवासी–ग्राम मानपुर देवरी उर्फ गोल्यावास, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर, राजस्थान ।
2. रामनारायण पुत्र रूपा, जाति हरियाणा ब्राहम्ण, निवासी–ग्राम मानपुर देवरी उर्फ गोल्यावास, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर, राजस्थान । राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर (राज.) ।
3. कैरी उर्फ केली देवी पत्नी स्व0 श्री लादूरामजाति हरियाणा ब्राहम्ण, निवासी–ग्राम मोहनपुरा तहसील सांगानेर, जिला जयपुर, राजस्थान ।
4. नैना देवी पत्नी श्री हरिनारायणजाति हरियाणा ब्राहम्ण, निवासी–ग्राम मंदाउ तहसील सांगानेर, जिला जयपुर, राजस्थान ।
5. पार्वती देवी पत्नी श्री बाबूलालजाति हरियाणा ब्राहम्ण, निवासी–ग्राम मदरामपुरा फागी रोड तहसील सांगानेर, जिला जयपुर, राजस्थान ।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

6. भगवती देवी पत्नी श्री हनुमानजाति हरियाणा ब्राहम्ण, निवासी–प्लॉट संख्या 4 सी, महावीर कॉलोनी, श्री जी स्कुल के पास टौल टेक्स टोंक रोड तहसील सांगानेर, जिला जयपुर, राजस्थान ।
   6/1 सुरज पुत्र श्री हनुमान जाति हरियाणा ब्राहम्ण, निवासी–प्लॉट संख्या 4 सी, महावीर कॉलोनी, श्री जी स्कुल के पास टौल टेक्स टोंक रोड तहसील सांगानेर, जिला जयपुर, राजस्थान ।
   6/2 मीरा पुत्री श्री हनुमानजाति हरियाणा ब्राहम्ण, निवासी–प्लॉट संख्या 4 सी, महावीर कॉलोनी, श्री जी स्कुल के पास टौल टेक्स टोंक रोड तहसील सांगानेर, जिला जयपुर, राजस्थान ।
   6/3 नाथी पुत्री श्री हनुमानजाति हरियाणा ब्राहम्ण, निवासी–प्लॉट संख्या 4 सी, महावीर कॉलोनी, श्री जी स्कुल के पास टौल टेक्स टोंक रोड तहसील सांगानेर, जिला जयपुर, राजस्थान ।
7. मूली देवी पत्नी श्री गोपालजाति हरियाणा ब्राहम्ण, निवासी ग्राम मंदाउ तहसील सांगानेर, जिला जयपुर, राजस्थान ।
8. तहसीलदार तहसील सांगानेर जिला जयपुर राज0।

–प्रत्यर्थीगण

अपील अंतर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम–1956 विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 255 दिनांक 23.04.2024

उपस्थित–

1. श्री मुकेश महर्षि वकील अपीलान्ट।
2. श्री रामजीलाल चौधरी वकील रेस्पो0 1 की ओर से।
3. श्री मुकेश शर्मा वकील रेस्पो0 2 की ओर से।
4. श्री रामप्रसाद शर्मा वकील रेस्पो0 5 की ओर से।
5. श्री सुरज शर्मा वकील रेस्पो0 6/1 से 6/3 की ओर से।

निर्णय

दिनांक–02.08.2024

1. उक्त अपीलें राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर द्वितीय (सांगानेर), के आदेश दिनांक 12.02.2024 के खिलाफ मियाद अधिनियम की धारा–5 के साथ एवं आदेश दिनांक 12.02.2024 की पालना में तहसीलदार सांगानेर द्वारा तस्दीक नामा0 संख्या 255 दिनांक 23.04.2024 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है। तीनों प्रकरणों में विवादित आराजी, विषयवस्तु समान होने से पत्रावलियों का निस्तारण एक ही निर्णय से किया जा रहाहै। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली में रखी जावे।

2. प्रकरणों के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर द्वितीय (सांगानेर) के समक्ष नामा0 संख्या 62 दिनांक 10.04.1972 ग्राम मानपुरा देवरी उर्फ गोल्यावास को गलत बताते हुये अपील प्रस्तुत की जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तरकरण संख्या 62 दिनांक 10.04.1972 निरस्त कर मृतक खातेदार रूपा पुत्र गणेश के वारिसान की जांच कर पुनः विधि सम्मत नामान्तरकरण तस्दीक किये जाने के आदेश दिनांक 12.02.2024 को दिये गये। उक्त आदेश की पालना में तहसीलदार सांगानेर द्वारा नामा0 संख्या 255 दिनांक 23.04.2024 तस्दीक किया गया।

माननीय आयुक्त
जयपुर

3. उपखण्ड अधिकारी, जयपुर द्वितीय (सांगानेर), जिला जयपुर के उक्त निर्णय दिनांक 12.02.2024 से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी, जयपुर द्वितीय (सांगानेर), जिला जयपुर के निर्णय दिनांक 12.02.2024 एवंनामा0 संख्या 255 दिनांक 23.04.2024 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

4. उक्त अपीलें प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया किग्राम मानपुर देवरी उर्फ गोल्यावास, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में नया खाता संख्या 10 मे आराजी भूमि खसरा नम्बर 52 रकबा 0.2900 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 53 रकबा 0.2800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 70 रकबा 0.0100 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 0.5800 हैक्टेयर है जो गत खसरा नम्बर 52 व 58 से बने है एवं नया खाता संख्या 38 मे-आराजी भुमि खसरा नम्बर 63 मिन, 61 मिन, 71, 72, 73, 70, 61, 65, 69, 64 है, जो गत खसरा नम्बर 37, 55, 58, 59 व 60 से बने हैं यह कि उक्त भूमियो का नामान्तकरण वर्ष 1972 मे अपीलार्थी के नाम खुला। जो नामान्तकरण संख्या 62 दिनांक 10.04.1972 को ग्राम पंचायत कल्याणपुरा द्वारा आम जनता की उपस्थिति मे खोला गया। तत्पश्चात अपीलार्थी उक्त भुमियो पर काबिज काश्त रहा। उक्त भुमियो व अन्य खरीदशुदा भुमियो मे दर्ज अपीलार्थी के हिस्से की भुमियो को अपीलार्थी ने दिनांक 27.07.2023 को अपने पुत्र प्रत्यर्थी संख्या 2 के नाम 1/2 हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड उपहार पत्र के कर दिया व उसी दिनांक 27.07.2023 को शेष अपना 1/2 हिस्सा अपने पौत्र प्रत्यर्थी संख्या 3 व 4 के नाम जरिये रजिस्टर्ड उपहार पत्र के कर दिया। तत्पश्चात प्रत्यर्थी संख्या 2 के नाम उक्त भूमि मे 1/2 हिस्से का रजिस्टर्ड उपहार पत्र से नामान्तकरण संख्या 244 दिनांक 22.08.2023 को खुला एवं प्रत्यर्थी संख्या 3 व 4 के नाम उक्त भूमि मे 1/2 हिस्से का रजिस्टर्ड उपहार पत्र से नामान्तकरण संख्या 245 दिनांक 05.09.2023 को खुला। इस प्रकार प्रत्यर्थी संख्या 2 ता 4 उक्त भूमियो मे दर्ज अपीलार्थी के हिस्से की भुमियो के मालिक, स्वामी व कब्जेधारी हुये । उक्त भुमियो के संबंध मे प्रत्यर्थी संख्या 1 ने अपने हिस्से को अपीलार्थी के हक मे छोडते हुये अपने हिस्से की राशी प्राप्त कर ली थी व उक्त नामान्तकरण को यथावत रखना मान लिया था. उसके बावजूद भी प्रत्यर्थी संख्या 1 ने अपीलार्थी के नाम उसके पिता की विरासत से खुले नामान्तकरण को चैलेज करते हुये उसमे स्वयं का रूपा के हिस्से मे 1/2 हिस्सा बताते हुये एक दावा घोषणा, दुरूस्ती इन्द्राज, तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा का दिनांक 04.10.1999 को इसी अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय सांगानेर के समक्ष प्रस्तुत कर दिया, जिस वाद की जानकारी अपीलार्थी को सन 2015 मे होने पर उसने अपीलार्थी से उक्त मुकदमा खारीज करवाने व भविष्य मे कोई मुकदमेबाजी नही करने की एवज मे दो लाख रूपयो की मांग की, जो राशी अपीलार्थी द्वारा उसे देने पर उसने उक्त वाद को दिनांक 16.10.2015 को प्रत्यर्थी संख्या 1 की अनुपस्थिति मे अदम हाजरी अदम पैरवी मे खारिज करवा लिया। उसके पश्चात प्रत्यर्थी संख्या 1 ने पुनः अपीलार्थी के नाम उसके पिता की विरासत से खुले नामान्तकरण को चैलेज करते हुये उसमे स्वयं का रूपा के हिस्से मे 1/2 हिस्सा बताते हुये एक दावा घोषणा, दुरूस्ती इन्द्राज, तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा का दिनांक 24.07.2023 को इसी अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय सांगानेर के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसमे अपीलार्थी उपस्थित होकर डिफेंस किया जो वाद भी दिनांक 16.04.2024 को अदम हाजरी अदम पैरवी मे खारिज हो गया । प्रत्यर्थी संख्या 1 नानगराम को उक्त तथ्यो का व पूर्व मे सन 1999 को प्रस्तुत वाद व उसके खारिज हो जाने एव उक्त भुमियो की रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड प्रत्यर्थी संख्या 2 ता 4 के पक्ष मे निष्पादित होकर नामान्तकरण खुलने का ज्ञान शुरू से ही ज्ञान था। परन्तु जमीनो के भाव बढ जाने के कारण प्रत्यर्थी संख्या 1 के मन मे बदनियती आ जाने के कारण उसके द्वारा अपीलार्थी के नाम पूर्व मे खुले नामान्तकरण संख्या 62 दिनांक 10.04.1972 को निरस्त करवाये

सभागीय आयुक्त
जयपुर

जाने हेतु उक्त तथ्यो को छिपाकर लगभग 52 वर्ष पश्चात अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय सांगानेर मे अपील प्रस्तुत की गई। जिसमे उसने मिथ्या तथ्य भी अलौच्य नामान्तकरण की जानकारी दिनांक 09.10.2023 को होना अंकित किया। उक्त अपील मे प्रत्यर्थी संख्या 1 ने पूर्व मे सन 1999 को प्रस्तुत वाद व उसके खारिज हो जाने के तथ्यो को अंकित नही किया तथा प्रत्यर्थी संख्या 1 ने प्रकरण मे अपीलार्थी की कोई विधिक तामिल भी नही करवाई। प्रत्यर्थी संख्या 1 को उक्त भुमिया प्रत्यर्थी संख्या 1 के नाम रूपा की विरासत के बाबत खुले नामान्तकरण संख्या 62 दिनांकित 10.04.1972 का ज्ञान शुरू से ही लगातार रहा है व प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा सन 1999 मे प्रस्तुत वाद से भी यह साबित हो जाता है कि उसे उस वक्त अर्थात् वर्ष 1999 मे तो इस नामान्तकरण संख्या 62 का ज्ञान हो गया था । अपील के पैरा संख्या 9 से स्पष्ट था कि उक्त आलोच्य नामान्तकरण को चैलेंज करते हुये उक्त विवादित भुमियो मे पैत्रक हिस्से बताते हुये प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा एक राजस्व वाद दिनांक 31.07.2023 को इसी अधिनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत होकर विचाराधीन है। जिस वाद के विचाराधीन होने से उक्त नामान्तकरण के संबंध मे प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा अधिनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत अपील कानूनन चलने योग्य ही नही थी। इसके अलावा उक्त नामान्तकरण संख्या 62 दिनांकित 10.04.1972 को, जिसके आधार पर आगे उक्त भुमियो के संबंध मे रजिस्टर्ड उपहार पत्र से उक्त भुमिया मिन अपीलार्थीगण के नाम हो चुकी थी, उन रजिस्टर्ड उपहार पत्रो को नामान्तकरण की अपील में निरस्त नही किया जा सकता था, अपितु रेगुलर वाद मे ही इस बाबत तनकी कायम कर साक्ष्य अभिलिखित कर मेरिट पर निर्णय दिया जा सकता था। प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा सन 1999 मे वाद प्रस्तुत किया गया था, जिस समय अर्थात् वर्ष 1999 मे प्रत्यर्थी संख्या 1 को आलोच्य नामान्तकरण का ज्ञान हो गया था, जो उस वर्ष 2015 के वाद पत्र के तथ्यो से प्रमाणित है । इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी तथ्यों पर गौर किये बिना एवं बिना सुनवाई का अवसर दिये अपीलाधीन आदेश पारित किये गये जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध एवं विधिसम्यक नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर द्वितीय (सांगानेर), जिला जयपुर के उक्त निर्णय दिनांक 12.02.2024 को निरस्तकिया जावे एवंउक्त आदेश की पालना में तहसीलदार सांगानेर द्वारा तस्दीक नामा0 संख्या 255 दिनांक 23.04.2024 निरस्त किया जावे।

6. रेस्पोडेण्ट के योग्य अधिवक्ता ने अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि उपरोक्त वर्णित भूमि अपीलार्थी व रेस्पो0 संख्या 1 के दादा स्व. गणेश से सम्बन्धित है तथा उक्त भूमि अपीलार्थी व रेस्पो0 संख्या 1 की पैतृक कृषि भूमि है। अपीलार्थी व रेस्पो0 संख्या 1 दोनो सगे भाई है तथा अपीलार्थी व रेस्पो0 संख्या 1 के पिता रूपा उर्फ रूपनारायण आराजी मे अपने जीवन काल मे अपने हिस्से अनुसार काबिज काश्त रहे है एवं समान हिस्सा निहित है। अपीलार्थी द्वारा रूपा उर्फ रूपनारायण की निर्वसीयत मृत्यु के पश्चात राजस्व कर्मचारियो से मिलीभगत कर रेस्पो0 संख्या 1 के भोलेपन का फायदा उठाकर व सरपंच ग्राम कल्याणपुरा से मिलीभगत कर व रेस्पो0 संख्या 1 के पिता के एक पुत्र रामनारायण होना बताकर पिता के नाम की कृषि भूमि सम्पूर्ण का नामान्तरकरण दिनांक 10.04.1972 को अपने नाम खुलवा लिया जिसका अपीलांट को कोई अधिकार प्राप्त नही था। रेस्पो0 संख्या 1 के पिता रुपा उर्फ रूपनारायण की निर्वसीयत मृत्यु हो जाने के बाद अपीलांट ने राजस्व कर्मचारियो से सांठ गांठ कर रेस्पो0 संख्या 1 के पिता रूपा उर्फ रूपनारायण के नाम से जो हिस्सा निहित था व रेस्पो0 संख्या 1 के द्वारा कयशुदा भूमि का सम्पूर्ण भूमि का नामान्तरकरण अपने नाम से खुलवा लिया जबकि उक्त विवादग्रस्त आराजी मे अपील में वर्णितानुसार रेस्पो0 संख्या 1 का हिस्सा शामिल है। रूपा उर्फ रूपनारायण की निर्वसीयत मृत्यु के पश्चातं विवादग्रस्त आराजी पर हिस्से के अनुसार रेस्पो0 संख्या 1अपने हिस्से पर निरन्तर उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है तथा अपने हिस्से की भूमि पर मकान बनाकर निवास कर रहा है तथा अपीलार्थी व प्रत्यर्थी संख्या 1 के मध्य विवाद होने पर अपीलांट द्वारा रेस्पो0 संख्या 1 के हक मे एक घोषणा पत्र दिनांक 19.02.2006 को निष्पादित किया जिसमे अपीलांट द्वारा घोषणा

संभागीय आयुक्त
जयपुर

पत्र दिनांक 19.02.2006 के माध्यम से इस तथ्यो को स्वीकार किया गया कि अपीलार्थी व प्रत्यर्थी संख्या 1 के पिता स्व. रूपा उर्फ रूपनारायण के कब्जेकाश्त व खातेदारी की कृषि भूमि जो ग्राम गोल्यावास तहसील सांगानेर मे स्थित है उसका अपीलार्थी द्वारा स्व. रूपा उर्फ रूपनारायण जो अपीलार्थी व प्रत्यर्थी संख्या 1 के पिता है की मृत्यु के पश्चात विरासत का नामान्तरकरण प्रत्यर्थी संख्या 1 के नाम खोला गया जो कानूनन गैर कानूनी है जबकि अपीलार्थी व प्रत्यर्थी संख्या 1 के पिता की सम्पत्ति मे अपीलार्थी व प्रत्यर्थी संख्या 1 का बराबर का हक व हिस्सा है उक्त घोषणा पत्र मे यह भी स्वीकार किया है कि स्व. रूपा उर्फ रूपनारायण जो अपीलार्थी व प्रत्यर्थी संख्या 1 के पिता थे की सम्पत्ति के अलावा ग्राम गोल्यावास मे अन्य कृषि भूमि भी कय की गयी है जो अपीलांट के नाम है जबकि उक्त कयशुदा कृषि भूमि में रेस्पो0 1 का भी हक व हिस्सा बराबर बराबर का है फिर भी अपीलार्थी द्वारा गलत नीयत के चलते धमकी देने के कारण प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा अपीलार्थी व अन्य सहखातेदारो के विरूद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वितीय के समक्ष घोषणा, दुरुस्ती इन्द्राज, तकासमा व स्थाई निषेधाज्ञा मय प्रार्थना पत्र अस्थाई का दिनांक 31.07.2023 को पस्तुत किया गया जिसमे दिनांक 12.09.2023 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय द्वारा विवादग्रस्त कृषि भूमि की मौका व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश पारित किये गये जिसमे आगामी तारीख पेशी 12.12.2023 नियत थी। दिनांक 04.10.2023 को अपीलार्थी द्वारा विवादग्रस्त भूमि पर दीवार का निर्माण कार्य शुरू कर दिया। अपीलार्थी द्वारा विवादग्रस्त भूमि मे रेस्पो संख्या 1 का हक व हिस्सा समाप्त करने के आशय से दिनांक 28.07.2023 को विवादग्रस्त आराजी मे निहित अपने हिस्से का उपहार पत्र प्रत्यर्थी संख्या 2 ता 4 के हक मे निष्पादित कर दिया है जिसके आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना कोई मौके की जाँच किये विवादग्रस्त कृषि भूमि का अपीलाधीन नामान्तरण दिनांक 22.08.2023 व 25.08.2023 को प्रत्यर्थी संख्या 2 ता 4 के हक मे तस्दीक किया गया है जो नामान्तरण प्रारम्भ से ही शून्य व निष्प्रभावी है तथा उपरोक्त नामान्तरण से पूर्व जो नामान्तरकरण संख्या 62 रेस्पो0 1के नाम दिनांक 10.04.1972 को तस्दीक किया गया था वह बिना रेस्पो0 1 को सुनवाई का अवसर दिये बिना व बिना कब्जे के बाबत जाँच किये ही उक्त अपीलाधीन नामान्तरकरण तस्दीक किया गया जो विधि विरुद्ध व मनमाना होने से माननीय न्यायालय द्वारा अपास्त किये जाने योग्य है। ग्राम पंचायत द्वारा इस तथ्य पर कतई गौर नही किया गया कि अपीलार्थी के नाम दिनांक 10.04.1972 को जो नामान्तरकरण तस्दीक किया गया है वह स्व. रूपा के विधिक वारिसो की जाँच किये बिना ही तस्दीक किया गया है ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर द्वितीय (सांगानेर), जिला जयपुर द्वारा सभी तथ्यों की जॉच पश्चात् ही विधिवत ग्राम पंचायत द्वारा तस्दीक नामान्तरकरण संख्या 62 दिनांक 10.04.1972 निरस्त कर स्व. रूपा के विधिक वारिसो की जाँच करने के आदेश दिये गये हैं जो कि उचित एवं विधिसम्यक है एवं तहसीलदार सांगानेर द्वारा विधिवत् ही उपखण्ड अधिकारी, जयपुर द्वितीय (सांगानेर) के आदेश दिनांक 12.02.2024 की पालना में विधिवत् समस्त वारिसों की जॉच कर नामा0 संख्या 255 दिनांक 23.04.2024 तस्दीक किया गया है। जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

7. हमने विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों एवं दस्तावेजी साक्ष्यों पर विचार किया। अतः न्यायहित में नकल दिनांक 26.04.2024 को प्राप्त होने से अपीलांट द्वारा पेश किये गये प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने पर हुई देरी को क्षम्य किया जाता है। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि प्रकरण में मूल विवाद मृतक खातेदार रूपा उर्फ रूपनारायण की विरासत को लेकर है। ग्राम पंचायत कल्याणपुरा द्वारा नामान्तरकरण संख्या 62 दिनांक 10.04.1972 मृतक खातेदार रूपा पुत्र गणेश की विरासत केवल अपीलांट रामनारायण पुत्र रूपा के नाम खोला गया। जिसकी अपील उपखण्ड अधिकारी

माननीय आयुक्त
जयपुर

जयपुर–द्वितिय के समक्ष होने पर न्यायालय द्वारा नामान्तरकरण संख्या 62 दिनांक 10.04.1972 को निरस्त कर वारिसान की जांच कर पुनः विधि सम्मत नामान्तरकरण तस्दीक किये जाने के आदेश दिये गये। इस संबंध में हमारा विनम्र मत है कि अपीलार्थी ने अपने कथन में भी स्वीकार किया है कि मृतक खातेदार रूपा पुत्र गणेश के दो पुत्र हैं एवं रेस्पो संख्या 1 नानगराम, रूपा उर्फ रूपनारायण का पुत्र है। ऐसे में यह स्वीकृत तथ्य है कि मृतक खातेदार रूपा पुत्र गणेश के रेस्पो संख्या 1 एवं उसकी पुत्रियॉ भी प्रथम श्रेणी के विधिक वारिस है एवं विरासत में उनका भी समान अधिकार है क्योंकि विरासत का नामान्तरकरण सभी विधिक वारिसान् की जॉच पश्चात् एवं सुनवाई का अवसर दिया जाकर ही खोला जाना चाहिए। ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तरकरण संख्या 62 दिनांक 10.04.1972 को निरस्त कर मृतक खातेदार रूपा पुत्र गणेश के वारिसान की जांच कर पुनः विधि सम्मत नामान्तरकरण तस्दीक किये जाने के आदेश दिये गये है उक्त आदेश की पालना में तहसीलदार सांगानेर द्वारा विधिवत् ही नामा0 संख्या 255 दिनांक 23.04.2024 समस्त विधिक वारिसान् के नाम तस्दीक किया गया। जो कि उचित एवं विधिसम्मत है। इसमें किसी प्रकार की त्रुटि जाहिर नहीं होती है। अपीलाधीन आदेश में हस्तक्षेप किया जाना हम उचित नहीं समक्षते हैं।

अतः आदेश है किः अपील अपीलांट निरस्त की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर द्वितीय (सांगानेर) का अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.02.2024 यथावत रखा जाता है एवं अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.02.2024 की पालना में तहसीलदार सांगानेर द्वारा तस्दीक नामा0 संख्या 255 दिनांक 23.04.2024 यथावत रखा जाता है।

(डॉ. आरूषी मलिक)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 02.08.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर